न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4379–एक/2012, विरूद्ध आदेश दिनांक 23–11–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 104/निगरानी/2011–12

.....

1– प्रताप उर्फ पातरे पुत्र सुमेरे
2– गबदू पुत्र महाराज सिंह
3– तोताराम
4– प्रधान सिंह
5– राकेश सिंह
6– शिवनाथ सिंह
7– गोकुल सिंह
8– कृष्णपाल सिंह पुत्रगण प्रताप सिंह
निवासी–बीरमपुरा, मौजा महदौरा,
तहसील पोरसा, जिला–मुरैना, म0प्र0

..... आवेदकगण

विरूद्ध

सीताराम पुत्र पातीराम
निवासी–बीरमपुरा, मौजा महदौरा,
तहसील पोरसा, जिला–मुरैना, म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री प्रभात सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 4/8/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–11–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि, ग्राम वीरमपुरा मौजा मेहदौरा, तहसील पोरसा व जिला–मुरैना में विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 979/4 रकबा 0.80 हैक्टेयर स्थिति है । सर्वे क्रमांक 979/4 बहुत बड़ा रकबा है । अनावेदक ने गलत रूप से बटांक कायम करने हेतु

तहसील न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया है कि, विवादित भूमि पर से आवेदकगण का कब्जा हटाया जावे । अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के जवाब में आवेदकगण ने संहिता की धारा 32 के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर दी, जो प्रकरण क्रमांक 80/2011–12/आ0मा0 पंजीबद्ध की जाकर विचाराधीन है । उक्त कार्यवाही के विचाराधीन रहते हुये भी तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 01/2010–11/अ–70 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 से आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया तथा मौका से अधिकृत कब्जा हटाये जाने हेतु नोटिस तामील कर दी । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.08.2012 से दुखित होकर आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 104/2011–12/निगरानी पर दर्ज की जाकर दिनांक 23.11.2012 को निगरानी निरस्त कर दी गई । न्यायालय अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.11.12 से असंतुष्ट एवं परिवेदित होकर निगरानी इस न्यायालय के समक्ष पेश की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया गया है कि, अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 की कार्यवाही प्रकरण क्र0 80/2011–12/अपील अनुविभागीय अधिकारी पोरसा जिला–मुरैना के समक्ष विचाराधीन है । इस तथ्य की जानकारी तहसील न्यायालय व अन्य न्यायालयों की थी, इसके बावजूद भी अधीनस्थ तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 32 पर स्थंगन आदेश पारित न करने में कानूनी भूल की है । तहसील न्यायालय द्वारा सर्वे नं0 979 रकबा 5.78 है0 ग्राम मेहदौरा जो खसरा पंचशाला में बीहड़ के रूप में दर्ज है अर्थात बीहड़ की भूमि पर समस्त ग्रामवासी उसका उपयोग व उपभोग पशु बांधने, कन्डे थापने एवं घूरा डालने के रूप में करते चले आ रहे है, इसके पश्चात् भी कृषि प्रायोजन के लिए एक ही परिवार के व्यक्तियों को सरपंच की कृपा दृष्टि से राजनीति विद्वेष के कारण पट्टे द्वारा उपकृत किया जाना पट्टा विधि के विपरीत होने से कानूनन पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है और उस पर विधि अनुसार सुनवाई पूर्ण न होने तक संहिता की धारा 250 की कार्यवाही जाना अनाधिकृत है । तर्क में यह भी बताया गया कि, शासन द्वारा पट्टा भूमिहीन व्यक्तियों को जिस उद्देश्य के तहत भूमि का उपयोग व उपभोग खसरा पंचशाला में पट्टा देने की दिनांक को उस प्रायोजन से दर्ज होना आवश्यक है । किन्तु तहसीलदार पोरसा द्वारा राजनीतिक दबाव से सर्वे नं0 979 रकबा 5.78 है0 पटवारी हल्का नं0 41 राजस्व अभिलेखों में बीहड़ के रूप में दर्ज था और उस पर पट्टा क्रमशः पातीराम, व उसके पुत्रों को प्रदान किया गया है, जबकि वास्तविकता में पातीराम के पास पूर्व से ही सर्वे नं0 1028 रकबा 0.84 है0 ग्राम वीरमपुरा मैहदौरा पटवारी हल्का नं0 41 में कृषि योग्य भूमि थी, उसके उपरान्त भी पट्टा दिया जाना कानूनन अपात्र की श्रेणी में आता है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही अर्थात बटांकन, पट्टा वितरण और

उसके उपरांत अपील के लम्बित रहते धारा 250 के तहत अर्थदण्ड आरोपित कर उसके पश्चात् बल पूर्वक बलात कब्जा व सिविल जेल की कार्यवाही किया जाना भी यह दृष्टि गोचर करती है कि तहसील न्यायालय द्वारा अनुचित एवं एकतरफा कार्यवाही की जा रही है जो दूसरे पक्ष को सुनवाई का विधिवत अवसर न देते हुए की गई है । अंत में आवेदकगण के अभिभाषक ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से यह बताया कि, उपरोक्त सर्वे नं0 979/4 रकबा 0.80 है0 ग्राम मेहदौरा तहसील पोरसा में स्थित है । किन्तु उक्त भूमि शासकीय पट्टे से प्राप्त की गई है । उक्त भूमि में कोई सीमा चिन्ह अंकित नहीं किये गये है । जब मौके पर कोई सीमा चिन्ह अंकित नहीं किये गये है तो उन्हें उखाड़ने अथवा नष्ट करने का कोई प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है । अंत में अनावेदक के अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को विधिनुकूल एवं नियमानुसार बताते हुये स्थिर रखने तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया है ।

5/ प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण के विरूद्ध संहिता की धारा 250 की कार्यवाही की जाकर उसके विरूद्ध आदेश पारित हुआ है जिसकी पुष्टि वरिष्ठ न्यायालयों में भी की है । इसके उपरांत भी आदेश के पालन में कब्जा न छोड़ने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही सिविल ~~न्यायालय~~ की कार्यवाही को लम्बित करने हेतु यह दूसरी निगरानी पेश की गई है । तहसीलदार का आदेश दिनांक 7–8–12 जिसके विरूद्ध यह दूसरी निगरानी है मात्र अनुविभागीय अधिकारी को भेजा जाने वाला प्रतिवेदन है जिस पर अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा अभी कार्यवाही की जानी है । ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि आवेदक मात्र न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करने की दृष्टि से न्यायालय के पूर्व आदेशों का पालन न करते हुये विभिन्न न्यायालयों में यह अनावश्यक प्रकरण चला रहा है जिनमें कोई औचित्य नहीं है । संहिता की धारा 250 के मूल प्रकरणों में जिन मुद्दों को उसे उठाना था उन्हें अब पुनः इन निगरानियों में उठाया जा रहा है । जबकि इस सम्बन्ध में न्यायिक प्रक्रिया पहले ही अन्तिम हो चुकी है ।

6/ उक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने में अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर